

असाधारण

**EXTRAORDINARY** 

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498] No. 498] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 2018/अग्रहायण 26, 1940

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 17, 2018/AGRAHAYANA 26, 1940

## केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2018

सं. 12—11/2010—के हो प (पार्ट—II)(1).—केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59वॉ) की धारा 33 के खण्ड (झ), (ञ) व (ट), धारा 20 की उप धारा (1) के साथ पठित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमित से, होम्योपैथी (स्नात्कोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम), एम.डी. (होम) विनियम, 1989 में आगे संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाती है अर्थात् :—

- 1 **(1) संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंम.**—इन विनियमों का नाम होम्योपैथी (रनात्कोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम), एम.डी. (होम) संशोधन विनियम, 2018 होगा ।
  - (2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. होम्योपैथी (रनात्कोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम), एम.डी. (होम) विनियम, 1989 में, विनियम 4 में उप–विनियम (2) को निम्न उप–विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :–
  - "(2) (i) प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर समस्त आयुर्विज्ञान संस्थानों के लिए एक सामूहिक प्रवेश परीक्षा अर्थात अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.— पी.जी.ई.टी.) होगी तथा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित कराया जाएगा;

परन्तु उक्त अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.-पी.जी.ई.टी) विदेशी राष्ट्रीयता के अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होंगी।

(ii) किसी शैक्षिक वर्ष हेतु रनातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता हेतु अभ्यर्थी को उस शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित अखिल भारतीय आयुष रनातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.) में न्यूनतम अंक 50वॉ प्रतिशतक प्राप्त करना अनिवार्य होगा;

परन्त निम्न के संबंध में-

- (क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम अंक 40वॉ प्रतिशतक होंगे;
- (ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट संदर्भित दिव्यांगजन (बेंचमार्क) रखने वाले अभ्यर्थियों के मामलें में सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम अंक 45वॉ प्रतिशतक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 40वॉ प्रतिशतक होंगे।

टिप्पणी : प्रतिशतक का निर्धारण अखिल भारतीय आयुष रनातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.-पी.जी.ई.टी.) में अखिल भारतीय सामूहिक योग्यता क्रम सूची में उच्चतम प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा;

परन्तु आगे जब संबंधित श्रेणियों में उम्मीदवारों की उचित संख्या में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु किसी शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित किए गए अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.—पी.जी.ई.टी.), जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट है, में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल हो जाए तो केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय परिषद् के परामर्श कर अपने विवेक से संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंको को कम कर सकती है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कम किए गए अंक मात्र उस शैक्षिक वर्ष हेतु लागू होंगे;

- (iii) अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.) में प्राप्त अंकों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की एक अखिल भारतीय योग्यता क्रमसूची एवं राज्यवार योग्यता क्रमसूची तैयार की जाएगी तथा अभ्यर्थी जो कि संबंधित श्रेणियों के अन्तर्गत आते है, उनका प्रवेश स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम में मात्र इन सूचियों से होगा।
- (iv) शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थानों तथा निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए सीट मैट्रिक्स अखिल भारतीय कोटा पंद्रह प्रतिशत एवं राज्यों और संघशासित प्रदेशों के लिए पचासी प्रतिशत होगा।
- (v) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसाइटी, अल्पसंख्यक संस्थान, निगम अथवा कंपनी द्वारा स्थापित संस्थानों सहित राज्यों और संघशासित प्रदेशों के सभी होम्योपैथी आयुर्विज्ञान संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परामर्श हेतु नामित प्राधिकारी, संबंधित राज्य एवं संघशासित प्रदेश के नियमों तथा विनियमों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, राज्य शासन अथवा संघशासित प्रदेश होंगे।
- (vi) अखिल भारतीय कोटे के सीटों के साथ साथ केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित सभी होम्योपैथी संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परामर्श, केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आयोजित किया जायेगा।
- (vii) अभ्यर्थी जोकि उपर्युक्त निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने में विफल रहा हो, उसे उक्त शैक्षणिक वर्ष में रनातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- (viii) इन विनियमों द्वारा प्रवेश के संबंध में निर्धारित मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन कर कोई भी प्राधिकारी अथवा संस्था किसी भी अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा और उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन कर प्रवेशित अभ्यर्थी को केन्द्रीय परिषद् द्वारा अविलंब हटा दिया जायेगा।
- (ix) किसी भी छात्र को उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करके प्रवेश प्रदान करने वाले प्राधिकरण अथवा संस्था के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी ।

डॉ. आशिस दत्ता, रजिस्ट्रार-सह-सचिव

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 419 / 18]

नोट : मूल विनियमों को भारत के असाधारण राजपत्र भाग—III, खण्ड 4 में संख्या 12—18/89—के.हो.प. के द्वारा दिनॉक 16 नवंबर, 1989 को प्रकाशित किया गया तथा तत्पश्चात निम्न संशोधन किए :-

- 12-3/91-के.हो.प. दिनॉक 22 फरवरी, 1993;
- 12-3/91-के.हो.प.(पार्ट) दिनॉक 05 नवंबर, 2001;
- 3. 12-2/2006-के.हो.प.(पार्ट) दिनॉक 05 मार्च, 2012 तथा
- 12-11/2010-के.हो.प.(पार्ट) दिनॉक 28 मार्च, 2016;

## CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2018

No. 12-11/2010-CCH(Pt.II)(1).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of section 33 read with sub-section (1) of section 20 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) Regulations, 1989 namely: -

## Short title and commencement. –

- (1) These regulations may be called the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D.(Hom.) Amendment Regulations, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) Regulations, 1989, in regulation 4, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
- "(2) (i) There shall be a uniform entrance examination to all medical institutions at the postgraduate level namely, the All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET) in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the Central Government:

Provided that the said All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET) shall not be applicable for foreign national's candidates.

(ii) In order to be eligible for admission to postgraduate course for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the 'All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET)' held for the said academic year:

Provided that in respect of-

- (a) candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile;
- (b) candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum marks shall be at 45th percentile for General Category and 40th percentile for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

Explanation. – The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the all India common merit list in the All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET):

Provided further that when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks in the All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET), as specified above, held for any academic year for admission to postgraduate courses, the Central Government in consultation with Central Council may at its discretion lower the minimum marks required for admission to postgraduate course for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for that academic year only.

- (iii) An all India common merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in the All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET) and the candidates, within the respective categories, shall be admitted to post graduate course from the said merit lists only.
- (iv) The seat matrix for admission in the Government, Government-aided Institutions and Private Institutions shall be fifteen per cent. for the all India quota and eighty-five per cent. for the States and Union territories quota.
- (v) The designated authority for counseling for all admissions to postgraduate course in all Homoeopathy educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the States Government, University, Deemed University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.

- (vi) The counseling for all admissions to postgraduate course for seats under the all India quota as well as for all Homoeopathy educational institutions established by the Central Government shall be conducted by the authority designated by the Central Government.
- (vii) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as specified above shall be admitted to postgraduate course in the said academic year.
- (viii) No authority or institution shall admit any candidate to the postgraduate course in contravention of the criteria or procedure as laid down by these regulations in respect of admissions and any candidate admitted in contravention of the said criteria or procedure shall be discharged by the Central Council forthwith.
- (ix) The authority or institution which grants admission to any student in contravention of the aforesaid criteria or procedure shall be liable to face action in terms of the provisions of the Act.".

Dr. ASHIS DATTA, Registrar -Cum -Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./419/18]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, vide No.12-18/89-CCH, dated the 16th November, 1989 and subsequently Amended vide:-

- 1. 12-3/91-CCH, dated the 22nd February, 1993;
- 12-3/91-CCH(Pt.), dated the 5th November, 2001;
- 3. 12-2/2006-CCH(Pt.), dated 5th March, 2012; and
- 12-11/2010-CCH(Pt.), dated the 28th March, 2016.